सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1787/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

जमना पुत्र सूरजमल कुमावत निवासी सूरजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. श्रीमति रूकमा पत्नि कालूराम
2. रामदेव पुत्र कालूराम
3. श्योजी पुत्र कालूराम
4. रतन पुत्र कालूराम
5. मगदू पुत्री कालूराम
6. गुड्द पुत्री कालूराम
7. भूरा पुत्र हरनाथ
   समस्त जाति कुमावत निवासीगण सूरजपूरा तहसील सावर जिला अजमेर
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–07.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सूरजपुराा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता नम्बर 81 के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 645/2859, 646, 647, 651, 652, 659, 662, 666, 669, 670, 672, 674, 784, 787, 853 किता 15 कुल रकबा 8.10 हैक्ट. भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के नाम दर्ज खातेदारी है। वादवर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी 1 लगायत 6 का संयुक्त 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 7 का 1/3 हिस्सा है व इसी हिस्से अनुसार आराजीयात को काश्त कर पैदावार करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात को काश्त करते समय प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न करते है व वादी को एलानिया धमकिया देते है व लडाई–झगडा करने पर आमादा है जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादवर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार बंटवारा कर प्रतिवादीगण 1 लगयत 7 को व उनके नोकर, चाकर, हाली, सीरी, एजेन्ट, मुख्त्यार, परिवारजन आदि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त,स्वामित्व, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें ना ही आराजीयात को खुर्द–बुर्द करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 व 7 की और से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत ने पावर पेश किया। प्रतिवादी 1 बावजूद सूचना के हाजिर न्यायालय नही।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में पेश हुयी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 व 7 उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। तहसीलदार सावर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत मोक्व रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात है। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम सूरजपुराा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता नम्बर 81 के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 645/2859, 646, 647, 651, 652, 659, 662, 666, 669, 670, 672, 674, 784, 787, 853 किता 15 कुल रकबा 8.10 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के हिस्से तक कब्जे काश्त, स्वामित्व, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही आराजीयात को खुर्द–बुर्द करें। तहसीलदार सावर को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी